न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/179

हजारीलाल आत्मज भवाना जाति मीणा निवासी हरीपुरा नाबलिग द्वारा संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल निवासी हरिपुरा

– अपीलांट

बनाम

1. अक्षत आत्मज भंवरलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा नाबालिग संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल निवासी हरिपुरा
2. ईसिका पुत्री भंवरलाल नाबालिग द्वारा संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल जाति मीना निवासी बालाजी मार्केट अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम कोटा राज0
3. कविता विधवा भंवरलाल जाति मीना निवासी बालाजी मार्केट नियर अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम कोटा राज0
4. जयराम बालिग आत्मज बरधा निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
5. पुष्पलता पुत्री बरधा बालिग पत्नी मदन उर्फ रामरतन मीना निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
6. किशकन्धा बालिग पुत्री बरधा पत्नी रामलाल मीना निवासी गुवाडी तहसील व जिला बून्दी राज0
7. जमनाबाई बेवा बरधा जाति मीना निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
8. बिरधीबाई पुत्री भवाना पत्नी अमरलाल जाति मीणा निवासी औकारपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
9. धनकंवर पुत्री भवाना पत्नी हीरालाल जाति मीना आशयाना ग्रीन वुड नीयर शूट्स रेन्ज जगतपुरा जयपुर राज0
10. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बून्दी राज0

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित बहस–1. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 30.06.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 220/2021 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 206 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 207 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 208 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 225 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का ओंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त आराजी के खातेदार वादी हजारीलाल प्रतिवादी बिरधी बाई प्रतिवादी धनकॅवर 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज है। पक्षकारान् जाति से मीणा है। इसलिए वादी हजारीलाल के साथ प्रतिवादी बिरधी बाई धनकॅवर का कानूनी रूप से कोई अधिकार नही है। इस आराजी का एक मात्र 1/2 हिस्से का खातेदार वादी हजारीलाल है। राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी बिरधी व धनकॅवर का नाम विलोपित करने का अधिकार वादी में निहित है। वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी सयुंक्त खाते में अंकित है। वादी कानूनी रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार है और उसी रूप से आराजी पर काबिज है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के कानूनी सयुंक्त खातेदार आपस में कारत करने के लिऐ सहुलियत है। आपसी सहुलियत के आधार पर वादी 1/2 हिस्से के अनुसार आराजी खसरा संख्या 206 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा पर काबिज है। शेष भूमि पर अन्य सह खातेदार काबिज है। सयुंक्त खाते में अंकित आराजी का कानूनी रूप से सयुंक्त खातेदारो के मध्य विधिवत् बॅटवारा नही हुआ है। इसलिऐ हमेशा भूमि को कारत करने में अड़चन असुविधा व विवाद उत्पन्न होता है। इसलिऐ वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी का विधिवत् बॅटवारा कराना चाहता है। 1/2 हिस्से के अनुसार वादी के हिस्से में जो आराजी आवे उस आराजी को एकल खाते में दर्ज कराना चाहता है। आपसी सहमति के आधार पर आराजी खसरा संख्या 206 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा पर वादी द्वारा कारत करने व करवाई जाने पर प्रतिवादी जयराम अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न करता है और वादी को आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है। वादी ने प्रतिवादी जयराम से कहा कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में आराजी का विधिवत् रूप से बॅटवारा करा लेवे लेकिन प्रतिवादी जयराम बॅटवारे के लिऐ तैयार नही है और अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न करता है। प्रतिवादी अक्षत व प्रतिवादी ईसिका नाबालिग है जो अपनी माता कविता के पास निवास करते है। कविता प्रतिवादी अक्षत व ईसिका की संरक्षक व हितैषी है। प्रतिवादी कविता ही अपने पुत्र व पुत्री के अधिकारो की सुरक्षा कर रही है। इसलिऐ यह दावा प्रतिवादी अक्षत ईसिका के विरूद्ध जर्ये सरंक्षक पेश किया जा रहा है। पक्षकारान् जाति से मीणा है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। मीणा जाति में लड़कियाँ अपने पिता की जायदाद में उत्तराधिकारी नही है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी वादी हजारीलाल के खाते में अंकित थी। प्रतिवादी बिरधी बाई व धनकॅवर भवाना जी की पुत्रियाँ है। प्रतिवादी बिरधी बाई व धनकॅवर का विवादित आराजी में कोई अधिकार नही है। भवाना जी के देहांत होने के पश्चात् वाद पत्र की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार वादी हजारीलाल है और उसी रूप में भूमि पर काबिज है।वादी ने प्रतिवादी बिरधी बाई धनकॅवर राजस्व रिकॉर्ड में से अपना नाम विलोपित करने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी बिरधी बाई व धनकॅवर बाई तैयार नही हुयी है। इसलिए वादी को इस आशय की घोषणा कराने का अधिकार है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी बिरधी बाई व धनकॅवर का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी जयराम वादी को वादी के कब्जे की भूमि से बेदखल करना चाहता है। इसलिए वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकारी है। वादी ने वाद पत्र में जिन तथ्यो का अंकन किया है उनके आधार पर वादी खातेदारी घोषणा बॅटवारा स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। बॅटवारे के लिऐ वाद कारण घोषणा के लिऐ वाद कारण व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद कारण जुलाई 2017 के प्रथम सप्ताह से लगातार पैदा हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के हक में प्रतिवादीगण की जाद व जायदाद के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान फरमाई जावे :–(1). वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्से का खातेदार वादी हजारीलाल को घोषित फरमाया जावे। राजस्व रिकॉर्ड से बिरधी बाई व धनकॅवर का नाम विलोपित फरमाया जावे। (2). वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी का विधिक अनुसार बॅटवारा फरमाया जावे। तथा 1/2 हिस्से के अनुसार बॅटवारे में जो आराजी वादी के आवे वह आराजी स्वतंत्र रूप से वादी के खाते अंकित फरमाया जावे। बॅटवारे के अनुसार पक्षकारो के मध्य आपस में कब्जे में रद्दोबदल फरमाया जावे। (3). आराजी खसरा संख्या 206 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा पर वादी का कब्जा है यथा संभव बॅटवारे में यह आराजी वादी को दी जावे । (4). यह कि प्रतिवादी जयराम को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में से वादी को बेदखल नही करे वादी के काश्त करने में कोई रूकावट पैदा नही करे। विवादित आराजी को हस्तान्तरण नही करे। खातेदार के रूप में काबिज रहने के अधिकार में अवरोध उत्पन्न नही करे।(5). यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2024 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

कोटा

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। पत्रावली पर प्राप्त तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्यो का नही देखा है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश हुआ है उनके द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किये जाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में मुख्य पक्षकार प्रतिवादी सं0 10 तहसीलदार महोदय बून्दी के द्वारा कोई जवाबदावा व ना ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय केनिर्णय में जो मुख्य आधार बताये गये है उसके बाबत प्रतिवादीगण कीओर से कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय व डिकी निरस्तकिये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये है कि विवादित आराजी में मु०वि०क का इन्द्राज हो रहा है इसलिये वादी को कोई अधिकार प्राप्त नही है अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन कानून से परे है, कानून के अन्तर्गत ऐसे खातेदार को ही भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त होता है इस महत्वपूर्ण तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय ने होल्ड नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय व डिकी दिनांक 27–6–24 के विरूद्ध यह अपील, अपीलान्ट द्वारा बंटवारे हेतू प्रस्तुत की जा रही है, अन्य कोई सहायता की मांग अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में नही की जा रही है। विवादित आराजी का प्रथक बंटवारा नही होने के कारण अपीलान्ट राजकीय सहायता प्राप्त करने से वचित हो रहा है। जिससे अपीलान्ट को काफी क्षति हो रही है। ओर भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करने व उपजाऊ करने मे कठिनाई का सामना करना पड रहा है। वादी अपने हिस्से व कब्जे की आराजी पर 1/2 हिस्से को पृथक व स्वतंत्र बंटवारा कराने का अधिकारी है। अतःश्रीमान से प्रार्थना है कि अपीलान्ट की उक्त अपील बटवारे की सीमा तक स्वीकार करावे तथा अपीलान्ट/वादी के हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि खसरा सं० 206 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, 207 रकबा 6 बिस्वा, 208 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 225 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम हरिपुरा तहसील रायथल जिला बून्दी राज० भूमि पर अपीलान्ट के हिस्से की

भूमि पर विधिवत बंटवारा किया जाकर जो आराजी अपीलान्ट के हिस्से में आवे, उसको पक्षकारो के मध्य कब्जा रद्दोबदल किया जाकर अपीलान्ट के प्रथक खाते में अंकित किया जावे। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तहसील बून्दी की खसरा संख्या 206, 207, 208, 225 कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 बिरधीबाई एवं धनकंवर का नाम विलोपित किए जाने तथा वादी हजारीलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किए जाने एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार ग्राम हरिपुरा तहसील बून्दी की खसरा नम्बर 206, 207, 208, 225 कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि खाता सरकार दर्ज है तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त रूप से मु.वि.क. दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपीलाट का कथन है कि विवादित आराजीयात उसके पिता भवाना के खाते की भूमि है तथा भवाना की मृत्यु हो चुकी है, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 भवाना की पुत्रियां है। अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण मीणा जनजाति के अर्थात अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 का भवाना की पुत्रियॉ होने की हैसियत से भवाना के खाते की भूमि में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। इसी आधार पर वादी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 का नाम विलोपित किया जाकर उनके हिस्से की भूमि को स्वयं के खाते दर्ज किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण नाम खातेदार के रूप में अंकित नहीं है। वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है तथा अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मु.वि.क. के रूप में दर्ज है। अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम का अंकन किस विधिक आधार पर किया गया है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसका वादग्रस्त आराजी में विधिक रूप से हक अधिकार निहित होना प्रमाणित होता हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि नहीं होकर सरकारी भूमि है, अतः अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार

का हक अधिकार नहीं होना मानकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 में अंकित किया है, वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी में स्वयं के हक अधिकारों को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 220/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 यथावत रखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

9. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/6/25

(सुरवीर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

/ 2

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024 / 179

हजारीलाल आत्मज भवाना जाति मीणा निवासी हरीपुरा नाबलिग द्वारा संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल निवासी हरिपुरा

– अपीलांट

बनाम

1. अक्षत आत्मज भंवरलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा नाबालिग संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल निवासी हरिपुरा
2. ईसिका पुत्री भंवरलाल नाबालिग द्वारा संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल जाति मीना निवासी बालाजी मार्केट अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम कोटा राज0
3. कविता विधवा भंवरलाल जाति मीना निवासी बालाजी मार्केट नियर अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम कोटा राज0
4. जयराम बालिग आत्मज बरधा निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
5. पुष्पलता पुत्री बरधा बालिग पत्नी मदन उर्फ रामरतन मीना निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
6. किशकन्धा बालिग पुत्री बरधा पत्नी रामलाल मीना निवासी गुवाडी तहसील व जिला बून्दी राज0
7. जमनाबाई बेवा बरधा जाति मीना निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
8. बिरधीबाई पुत्री भवाना पत्नी अमरलाल जाति मीणा निवासी औकारपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
9. धनकंवर पुत्री भवाना पत्नी हीरालाल जाति मीना आशयाना ग्रीन वुड नीयर शूट्स रेन्ज जगतपुरा जयपुर राज0
10. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बून्दी राज0

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्या: 220 / 2021

हजारीलाल आत्मज भवाना जाति मीणा निवासी हरीपुरा नाबलिग द्वारा संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल निवासी हरिपुरा

–वादी

बनाम

13

अक्षत आत्मज भंवरलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा नाबालिग संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल निवासी हरिपुरा

ईसिका पुत्री भंवरलाल नाबालिग द्वारा संरक्षक माता कविता बैवा भंवरलाल जाति मीना निवासी बालाजी मार्केट अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम कोटा राज0

3. कविता विधवा भंवरलाल जाति मीना निवासी बालाजी मार्केट नियर अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम कोटा राज0
4. जयराम बालिग आत्मज बरधा निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
5. पुष्पलता पुत्री बरधा बालिग पत्नी मदन उर्फ रामरतन मीना निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
6. किशकन्धा बालिग पुत्री बरधा पत्नी रामलाल मीना निवासी गुवाडी तहसील व जिला बून्दी राज0
7. जमनाबाई बेवा बरधा जाति मीना निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
8. बिरधीबाई पुत्री भवाना पत्नी अमरलाल जाति मीणा निवासी औकारपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0
9. धनकंवर पुत्री भवाना पत्नी हीरालाल जाति मीना आशयाना ग्रीन वुड नीयर शूट्स रेन्ज जगतपुरा जयपुर राज0
10. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बून्दी राज0

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 220/2021 में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 30.06.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 220/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 बहाल रखी जाती है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

30/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा